

मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 24/6/2017

कमांक एफ 2-2/2017/1/59: राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2017 तथा पूर्व में जारी विभागीय आदेशों के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक-4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	आयुर्वेद चिकित्सक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान	स्वयं के व्यय पर/ प्रशासकीय आधार पर
1	2	3	4	5
1	डॉ० वंदना शुक्ला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. बनसुकली, शहडोल	पूर्ववत जिला आयु. चिकि.शहडोल	स्वयं के व्यय पर
2	डॉ. गीतांजली सिंह कटैत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. अथाईखेड़ा, अशोकनगर	पूर्ववत शासकीय आयु. महा. इन्दौर	स्वयं के व्यय पर
3	डॉ. अजय माण्डवे	शा. आयु. औष. रंगारी, छिंदवाडा	शा. आयु. औष. केरपानी, बैतूल	प्रशासकीय आधार पर
4	डॉ. वीरेन्द्र भोंसले	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. विलासपुर, उमरिया	पूर्ववत शा. आयु. औष. पथराड, खरगोन	स्वयं के व्यय पर
5	डॉ. सौरभ पटेल	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सिंगौद, जबलपुर	पूर्ववत शा. आयु. औष. डुंगासरा, सागर	स्वयं के व्यय पर
6	डॉ. संगीता कुर्मी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. चीचली, नरसिंहपुर	शा. आयु. औष. बघवार, जिला नरसिंहपुर	स्वयं के व्यय पर

7	डॉ. सुधीर सिंह चौहान	शा. आयु. महावि. -बुरहानपुर	पूर्ववत शा. आयु. औष. जमसारा, जिला- भिण्ड	स्वयं के व्यय पर
8	डॉ. रेखा शर्मा	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. मोहगांव, बालाघाट	शा. आयु. औष. मेहसाव, रीवा	स्वयं के व्यय पर
9	डॉ. अनिल राठौर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. कुल्हार, विदिशा	शा. आयु. औष. सोनी, भिण्ड	स्वयं के व्यय पर
10	डॉ. अंशुल अग्रवाल	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. टाटरी, मण्डला	शा. आयु. औष. शाहपुरा, जबलपुर	स्वयं के व्यय पर
11	डॉ. रोशनी पारधी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. ढीमरखेड़ा, कटनी	शा. आयु. औष. चन्दना, बालाघाट	स्वयं के व्यय पर
12	डॉ. ज्योति जैन	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. बखारी, सिवनी	पूर्ववत शा. आयु. औष. खामलिया सीहोर	स्वयं के व्यय पर
13	डॉ. नीता भलावी	शा. आयु. औष. हतनापुर, सिवनी	शा. आयु. औष. हिनोतिया, सिवनी	स्वयं के व्यय पर
14	डॉ. विक्रम परते	शा. आयु. औष. धोबीसरा, सिवनी	शा. आयु. औष. बर्रा, सिवनी	स्वयं के व्यय पर
15	डॉ. यशवंत कुमार माथुर	शा. आयु. औष. जाम, सिवनी	आयुष विंग, सिवनी	स्वयं के व्यय पर
16	डॉ. रविन्द्र कुमार पाटिल	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. उदनखेड़ी, राजगढ़	पूर्ववत शा. आयु. औष. साईंखेड़ा, बैतूल	स्वयं के व्यय पर
17	डॉ. अनीता चौहान	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सिरसौद (करैरा), शिवपुरी	शा. आयु. औष. बुधवारिया, उज्जैन	स्वयं के व्यय पर


23

18	डॉ. अर्चना सिंह	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. माड़ा, सिंगरौली	आयुष विंग विदिशा	स्वयं के व्यय पर
19	डॉ. विनोद सिंह	शा. आयु. औष. सीतानगर, दमोह	शा. आयु. औष. रहटा, उमरिया	स्वयं के व्यय पर
20	डॉ. पंकज पाटीदार	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. नावली, मंदसौर	शासकीय आयुर्वेद औष. बगाना, मीमच	स्वयं के व्यय पर
21	डॉ. इसरार बेग	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. खरैह, शिवपुरी	शास. आयु. औष. साखनी, ग्वालियर	स्वयं के व्यय पर
22	डॉ. प्रवेश उपाध्याय	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. संमोई, झाबुआ	शा. आयु. औष. पेटलावद, झाबुआ	स्वयं के व्यय पर
23	डॉ. सारिका लखेरा	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. खन्नौधी, शहडोल	पूर्ववत शा. अष्टांग आयु. महा. एवं चिकि. इन्दौर	स्वयं के व्यय पर
24	डॉ. वर्षा अहिरवार	आयुर्वेद औष. नोहटा, दमोह (एक स्थान पर दो चिकि. पदस्थ है)	शा. आयु. महा. एवं चिकि., भोपाल	स्वयं के व्यय पर
25	डॉ. अभिलाषा पोरपंथ	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. खामला, बैतूल	शा. आयु. औष. अजनोद इन्दौर	प्रशासकीय आधार पर
26	डॉ. गायत्री प्रजापति	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. महाराजपुर, मण्डला	शा. आयु. औष. देवगढ, छिन्दवाड़ा	प्रशासकीय आधार पर
27	डॉ. विजय चौके	शासकीय आयुर्वेद औष. चिकारा, सिवनी	शा. आयु. औष. मारबोडी सिवनी	प्रशासकीय आधार पर
28	डॉ. अनिल पाण्डे	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. भामा, नरसिंहपुर	शा. आयु. औष-पलदूना उज्जैन	प्रशासकीय आधार पर
29	डॉ. कीर्ति अखण्ड	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. आमगांव, नरसिंहपुर	शा. आयु. औष-जहांगीरपुरी उज्जैन	प्रशासकीय आधार पर

30.	डॉ. आरती वर्मा	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. पोखरा, सीधी	शा. आयु. औष. टीकर, जिला- रीवा	प्रशासकीय आधार पर
31	डॉ. मृत्यंजय मिश्रा	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. उफरी, शहडोल	पूर्ववत शा. आयु. औष. मेडियारास, अनूपपुर	स्वयं के व्यय पर
32	डॉ. दीपेश कठोट	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. बरेली, रायसेन	शा. आयु. चिकि-झाबुआ	प्रशासकीय आधार पर
33	डॉ. कौशल किशोर कुमार	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. कुडारी, सिवनी	शा. आयु. औष. लडवारी, टीकमगढ़	प्रशासकीय आधार पर
34	डॉ. संजय पाटीदार	बुरहानपुर	शा. आयु. औष. दिवेल, जिला-उज्जैन	प्रशासकीय आधार पर

उपरोक्त नवीन पदस्थापना पर संबंधित चिकित्सक को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



24/06/17
(पी. आर. कतरोलिया)
उप सचिव

म.प्र. शासन आयुष विभाग
भोपाल दिनांक 24/6/2017

प. क्रमांक/एफ 2-2/2017/1/59

प्रतिलिपि- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष विभाग।
2. आयुक्त, आयुष संचालनालय म.प्र. भोपाल।
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय.....म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुष अधिकारी.....म.प्र.
6. समस्त जिला आयुष अधिकारी.....म.प्र.
की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश के पालन में संबंधित को तत्काल कार्यमुक्त करें। आदेश जारी होने के दिनांक से संबंधित चिकित्सक के किसी भी प्रकार के अवकाश संचालनालय की पूर्व अनुमति बिना स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
7. संबंधित डॉ.....म.प्र.
को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. आदेश नस्ती।


24/06/17
उप सचिव
म.प्र. शासन आयुष विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

-आदेश-

भोपाल, दिनांक 24/6/2017

क्रमांक एफ 2-2/2017/1/59: मंत्रि परिषद द्वारा लिये गए निर्णय दिनांक 02.12.2016 के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2017 के अनुक्रम में ऐलोपैथी चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सहस्थापित एकीकृत आयुर्वेद औषधालयों में ऐलोपैथी चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से, निम्नलिखित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-4 में दर्शाये स्थान पर एतद् द्वारा प्रशासकीय आधार पर पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	आयुर्वेद चिकित्सक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
1	डा० विश्वदीपक त्रिपाठी,	शा.आयु.औष. -मुंडा,जिला-सतना	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. बनसुकली, शहडोल
2	डा० दीपक उपाध्याय,	शा.आयु.औष. -ढाकोनी,जिला-अशोकनगर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. अथाईखेड़ा, अशोकनगर
3	डा० ज्योतिबाला वर्मा,	शा.आयु.औष. -मंडावर,जिला-राजगढ़	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. टोडी, राजगढ़
4	डा० प्रदीप पटेल	शा.आयु.औष. निगाहरी, जिला-उमरिया	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. विलासपुर, उमरिया
5	डा० धर्मराज सिंह देशमुख	शा.आयु.औष. -सौंसरजिला-छिंदवाडा	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. चीचली, नरसिंहपुर
6	डा० पंकज मेश्राम,	शा.आयु.औष.-पुरानी जैतपुरी, जिला-बालाघाट	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. मोहगांव, बालाघाट
7	डा० अशीष जैन	शा.आयु.औष. बरदा, जिला-विदिशा	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. कुल्हार, विदिशा
8	डा० विनोद पजले	शा.आयु.औष. कटौकी, जिला-बालाघाट	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. टाटरी, मण्डला

9	डा0 मनीष मरकाम,	शा.आयु.औष.-जप्ता, जिला-बालाघाट	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. ढीमरखेड़ा, कटनी
10	डॉ. सर्वेश पटेल	शा. आयु. औष. पडवार, जबलपुर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सिंगौद, जबलपुर
11	डा0 विनोद अहिस्वार	शा.आयु.औष.-पामाखेडी जिला-सागर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सुनवारा, सिवनी
12	डा0 नवनीत द्विवेदी,	जिला-सीहोर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. उदनखेड़ी, राजगढ़
13	डा0 अभिषेक गोयल	शा.आयु.औष. सीहोर जिला-शिवपुरी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सिरसौद (करैरा), शिवपुरी
14	डा0 नीरज दाहिया,	शा.आयु. औष-चुरवारी,जिला-सतना	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. माड़ा, सिंगरौली
15	डा0 गोपाल मण्डलोई	शा.आयु.औष. -नीमचजिला-नीमच	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. नावली, मंदसौर
16	डा0 अभिषेक तोमर	शा.आयु.औष.-कौलारस जिला-शिवपुरी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. खरैह, शिवपुरी
17	डा0 रामप्रकाश गुर्जर	शा.आयु.औष. अजनोद जिला-इन्दौर	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. समोई, झाबुआ
18	डा0 प्रदीप खरे,	शा.आयु.औष. मडला, जिला-पन्ना	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. खन्नौधी, शहडोल

19	डा0 वीरेन्द्र वाडिया	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. सुनवारा, सिवनी	एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औष. बखारी, सिवनी
----	----------------------	--	--

- उपरोक्त नवीन पदस्थापना पर संबंधित चिकित्सक को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त आयुर्वेद चिकित्सक प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करेंगे तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापना अवधि तक ही प्रशिक्षण की सीमा तक, आवश्यकतानुसार ऐलोपैथी पद्धति से भी उपचार कर सकेंगे।
- संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. के संलग्न पत्र क्रमांक/01/जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2017/1535 भोपाल दिनांक 01.05.2017 के तारतम्य में कार्य के संचालन हेतु दिये गए दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय में कार्य सम्पादन व व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी, जो इस आदेश के साथ संलग्न होकर इसी आदेश का भाग माना जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Handwritten Signature)
24/6/17
(पी. आर. कतरोलिया)
उप सचिव

म.प्र. शासन आयुष विभाग
भोपाल दिनांक 24/6/2017

पृ. क्रमांक/एफ 2-2/2017/1/59

प्रतिलिपि- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष विभाग।
2. आयुक्त, आयुष संचालनालय म.प्र. भोपाल।
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय.....म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुष अधिकारी.....म.प्र.
6. समस्त जिला आयुष अधिकारी.....म.प्र.
की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश के पालन में संबंधित को तत्काल कार्यमुक्त करें। आदेश जारी होने के दिनांक से संबंधित चिकित्सक के किसी भी प्रकार के अवकाश संचालनालय की पूर्व अनुमति बिना स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
7. संबंधित डॉ.....म.प्र.
को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. आदेश नस्ती।

(Handwritten Signature)
24/6/17
उप सचिव
म.प्र. शासन आयुष विभाग